मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल

(15)

क्रमांक एफ. /2005/10–2 भोपाल, दिनांक अक्टूबर, 2005

प्रति,

1– समस्त वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश.

2– समस्त वन मंडलाधिकारी
मध्यप्रदेश.

विषय:– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले प्राप्त राशि से किये जानेवाले वृक्षारोपण के संबंध में।

———0———

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, द्वारा सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस शर्त में एक महत्वपूर्ण शर्त आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि से वैकल्पिक वृक्षारोपण कराये जाने की होती है। वर्तमान में आवेदक संस्थान से प्राप्त राशि में से मुख्यतः वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं एन.पी.व्ही. की राशि संबंधित वन मंडलाधिकारी के पी.डी.खाते में जमा करने के निर्देश हैं। राज्य शासन द्वारा पी.डी. खाते में जमा राशि से वृक्षारोपण कार्य कराये जाने हेतु समय–समय पर राशि विमुक्त की जाती है। वैकल्पिक वृक्षारोपण के संबंध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वृक्षारोपण का जीवित प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत सुनिश्चित किया जावे।

2/ पी.डी.खाते से विमुक्त कराई गई राशि से किये जानेवाले वृक्षारोपण का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन लगातार किया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :–

1 सभी वृक्षारोपण क्षेत्रों की रोपण पंजी संधारित की जावे एवं उसमें सभी प्रविष्टियां अद्यतन रखी जावे।

2 रोपित सभी प्रजातियों का रोपण पंजी में अनिवार्यतः उल्लेख किया जावे।

3. प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल एवं माह अक्टूबर में रोपित पौधों की गणना प्रजातिवार कराई जावे एवं प्राप्त परिणामों का उल्लेख रोपण पंजी में करते हुए प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, भू–सर्वे को माह मई एवं माह नवम्बर में प्रेषित किया जावे

ऊंचाई भी दर्शाई जावे।

4. यदि रोपण क्षेत्र मे रोपण के उपरांत कोई हानि होती है तो इस संबंध मे आवश्यक जांच राजपत्रित अधिकारी से कराते हुए हानि प्रतिवेदन तैयार किया जावे तथा प्राथमिक हानि प्रतिवेदन विभाग में प्रचलित प्रथा अनुसार महालेखाकार को भेजते हुए अंतिम हानि प्रतिवेदन भी महालेखाकार को यथा शीघ्र प्रेषित किया जावे।

5. यदि रोपण क्षेत्र में हानि होती है तो इसके लिए स्पष्टतः उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों से हानि की राशि वसूल करने के अलावा उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण आचरण एवं अपील) नियम, 1965 के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जावे।

(एल.एम.बेलवाल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/ 3761 /2005/10-2 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 05

प्रतिलिपि:-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पी.डी. राशि से विमुक्त राशि द्वारा कराए गये रोपणों का सतत निरीक्षण मुख्यालय के अधिकारियों से कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था कर अवगत करायें।

2- समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्रीय प्रवास के दौरान पी.डी.एकाउण्ट से विमुक्त राशि से कराए गये रोपण क्षेत्रों का भी निरीक्षण करें एवं तत्पश्चात् इस संबंध में अपनी टीप मुख्य वन संरक्षक, भू--सर्वे को प्रेषित करें।

3- मुख्य वन संरक्षक, भू--सर्वे मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित। कृपया वृक्षारोपण का मूल्यांकन प्रतिवेदन माह जून एवं माह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में अपने अभिमत के साथ शासन को भेजना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग